

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कैशाबाचन्द्र बनाम कुकेशकुमार

हसम मुकदमा वाद नं० ४४ सन् 2018

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
3-18	<p>✓ वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 27-9-18 को पेश हो।</p> <p><i>sub</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
27-9-18	<p>उभय पक्ष उपखण्ड अधिकाारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 13-12-18 को पेश हो।</p> <p><i>sub</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
13-12-18	<p>उभय पक्ष उपखण्ड अधिकाारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 13-12-18 को पेश हो। विपक्षी 1 की अदालत अधिवक्ता की वाराचेदगी को पराहित किये 27-9-18 को पेश हो।</p> <p><i>sub</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
10-1-19	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी एवं वादी के अधिवक्ता को पकितनी मर्तबा विधिवत अर्पाजे दिलायी जाने उपरान्त भी वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से वाद पत्र अदम्य हजरी व अदम्य वैरती मे खारीज किया जाता है। पत्रावली फेरसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>sub</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	